SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 13.07.2024

पारिवारिक न्यायालय सं. 1, अजमेर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपरोक्त बैंच में प्रस्तुत प्रकरण में दोनों पक्षकारान का विवाह वर्ष 2010 में हुआ था। दोनों पक्षों में पारिवारिक विवाद होने के कारण प्रार्थिया को वर्ष 2020 को उसके ससुराल से निकाल दिया गया तथा उसने काफी समझाईश अपने घरवालों के माध्यम से की तथा इसके बाद धारा–9 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की याचिका मार्च, 2021 में न्यायालय में अप्रार्थी के विरुद्ध पेश की। प्रकरण में अप्रार्थी के उपस्थित आने पर प्रार्थिया व अप्रार्थी के मध्य न्यायाधीश महोदय द्वारा समझाईश करवाई गई, जिस पर दोनों पक्षों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हुआ और वे एक साथ रहने को तैयार हो गये। समझाईश किये जाने व दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने से उनके बच्चों को माता–पिता का प्यार मिल सकेगा।

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीन्द

राष्ट्रीय लोक अदालत 13.07.2024 को तालुका विधिक सेवा समिति, आसीन्द के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीन्द में लम्बित प्रकरण में परिवादी ने अभियुक्त को 300000/– रूपये दिये थे। अभियुक्त द्वारा रूपये नहीं लौटाने पर वर्ष 2012 में परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था। राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व प्री–काउंसलिंग में दोनों पक्षों व उनके अधिवक्तागण में समझाईश के प्रयास करने से दोनों पक्षकार राजीनामा करने के लिए तैयार हुए। 12 साल से चल रहे इस प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया गया। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दी जाने वाली सम्पूर्ण राशि नकद के रूप में लोक अदालत के दिन प्राप्त कर ली। पक्षकारान लोक अदालत की इस पहल से काफी खुश हुए तथा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

18 वर्ष पुराने प्रकरण का राजीनामे से हुआ निस्तारण

प्रकरण में पक्षकार एक ही शहर बडीसादडी के निवासी होकर पडोसी हैं। दोनों पक्षकारों के मध्य पैसों के लेन–देन को लेकर झगडा होने से यह प्रकरण वर्ष 2006 में दर्ज किया गया। दोनों पक्षकारों के मध्य सामाजिक व जातिगत वैमनस्यता लम्बे समय से थी जिनकी ओर से अधिवक्ता द्वारा पत्रावली के विभिन्न चरणों पर बार–बार सतत प्रयास से

प्रकरण में लोक अदालत की भावना से समझाईश करवाकर पक्षकारों के मध्य चली आ रही पुरानी रंजिश का हमेशा के लिए खत्म कर लिया। प्रकरण में दोनों पक्षकार समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इस कारण यह प्रकरण बडीसादडी में काफी चर्चित भी था।

अपर जिला एवं सैशन न्यायायलय, महवा, दौसा

सिविल रेगुलर अपील प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध दावा दिनांक माननीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड महवा से वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर निर्णित किया गया। जिसकी अपील प्रतिवादी द्वारा माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय, दौसा द्वारा न्यायालय एडीजे, बांदीकुई कैम्प महवा के लिए वर्ष 2013 में स्थानांतरित किया गया। उपरोक्त प्रकरण रामगढ स्थित रिहायशी मकान व बाडा की जमीन से सम्बंधित था, जिसे दिनांक 13.07.2024 को आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे की भावना से उभय पक्षकारान की सहमति से निस्तारित करवाया गया। उक्त प्रकरण के निस्तारण में लोक अदालत बैंच के अध्यक्ष एवं सदस्य का विशेष योगदान रहा। साथ ही पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा भी उक्त प्रकरण के राजीनामे से निस्तारण हेतु प्रयास किये गये।

अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, सादुलशहर, श्रीगंगानगर

हिन्दु विवाह अधिनियम, धारा 9 के अंतर्गत अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, सादुलशहर में लम्बित प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.07.2024 में रखा गया जिसमें दोनों पक्षकारान के उपस्थित आने के बाद लोक अदालत की भावना से समझाईश करवायी गई। लोक अदालत की भावना से पति–पत्नी ने खुले मन से बातचीत की और मनमुटाव की बातों भुलाकर एक साथ जीवन बसर करने का मानस बनाया। लोक अदालत की बैंच संख्या 13 की अध्यक्ष महोदया ने समझाईश करते हुए युवा दम्पति एक साथ रहने को राजी हुए और एक दूसरे को माला पहनाकर अपने मुकदमे का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा द्वारा निस्तारण किया। इस प्रकार चार वर्ष से लम्बित व अलग–अलग रह रहे पति–पत्नी ने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे से निपटाकर वापिस अपना घर बसाया।

चाचा–भतीजा का 07 वर्ष पुराना सिविल विवाद लोक अदालत में निस्तारित किया गया

कस्बा नवलगढ, झुंझुनूं में स्थित पैतृक दुकान व दुकान के उपर स्थित दो चौबारों के बंटवारे का विवाद लगभग सात साल से चल रहा था। वादी एवं प्रतिभागी आपस में

चाचा–भतीजे हैं। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों के मध्य समझाईश की गई और दोनों पक्षकारों आपसी सहमति से विवादित सम्पति का बंटवारा करने हेतु राजी हो गये। श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनू की उपस्थिति में पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा समझाईश कर सम्पति का बंटवारा किया गया। जिस पर दोनों पक्षकार राजी–राजी सहमत हो गये और दोनों पक्षकारों ने राजीनामा होना स्वीकार किया और राजीनामा करवाने बाबत् लोक अदालत के अध्यक्ष एवं सदस्य को धन्यवाद दिया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम–1, कोटा

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.07.2024 में राजीनामा के आधार पर निस्तारित प्रकरणों में से एक प्रकरण में दुर्घटना में घायल होने पर मृतक के परिवारजनों द्वारा क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी इंश्योरेंस कम्पनी के मध्य समझाईश कराई गई। उक्त प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य 16,00,000/– रूपये में राजीनामा हुआ। इस प्रकार प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निस्तारित किया गया।

अधिकरण के अन्य प्रकरण में सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान/आश्रितगण के द्वार क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपस्थिति के उपरांत राजीनामा की सम्भावना होने पर प्री–काउंसलिंग कराई गई तथा उभय पक्षों के मध्य 15,40,000/– रूपये में राजीनामा होने पर उक्त प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारित किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण अन्तिम रूप से निस्तारित हो पाया।

****

"Help the Needy – Timely Help May Create History"